

The Constitution (Amendment) Bill, 2025(Amendment of the Tenth Schedule) - Introduced

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, with your permission, I seek to move for leave to introduce a Bill to further amend the Constitution of India, the Tenth Schedule or the Anti-Defection Law.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI MANISH TEWARI : Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : टेंथ शेड्यूल पर लागू कर दो ।

श्री मनीश तिवारी: यह तीसरी बार है । पहली बार 2010 में किया था, उसके बाद 2020 में किया था और अब 2025 में किया है । टेंथ शेड्यूल को अगर अमेंड नहीं किया गया, तो कांशियंस, कांस्टीच्युएंसी, कॉमन सेंस और जो लोकतांत्रिक संस्थायें हैं, वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी ।